भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 607

सोमवार, 06 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक)

बाल श्रमिकों को शिक्षा

607. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:
श्रीमती भावना गवली (पाटील):

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाल श्रमिकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) वर्तमान में देश में कार्यरत विशेष विद्यालयों (बाल श्रम पुनर्वास-सह-कल्याण केन्द्रों) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विशेषकर महाराष्ट्र में इन विशेष विद्यालयों को दी गई वित्तीय सहायता और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को कोविड महामारी के बाद बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के आंकड़ों की जानकारी है;

(ड.) क्या सरकार ने श्रमबल में बच्चों की बढ़ती संख्या की जांच की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) इस मामले में कितने लोग, कंपनियां और संस्थाएं दोषी पाई गई हैं और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ज) बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला परियोजना समितियों के माध्यम से बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना कार्यान्वित कर रहा है। एनसीएलपी योजना के अंतर्गत, 9-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को काम से मुक्त कराया/ छुड़ाया जाता है और एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित किया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाने से पहले समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखरेख, आदि उपलब्ध कराई जाती है। दिनांक 01.04.2021 से एनसीएलपी योजना को समग्र शिक्षा के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। इसके पश्चात, मुक्त कराए गए बाल

श्रमिकों को एसएसए के तहत संचालित एसटीसी के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रणाली द्वारा मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा।

एनसीएलपी योजना के तहत कार्यशील दिनांक 31.03.2021 से पहले संस्वीकृत विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी), जिन्होंने दिनांक 31.03.2022 तक दो साल पूरा नहीं किए हैं, का ब्यौरा अनुबंध-। में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2018-19 से 2022-23 (दिनांक 31.01.2023 तक) के दौरान महाराष्ट्र सहित एनसीएलपी योजना के तहत जारी अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-।। में दिया गया है।

(घ) से (छ): कोविड-19 महामारी ने बच्चों सहित समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया" के अनुसार, बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत देश में कैलेंडर वर्ष 2019 से 2021 के दौरान क्रमशः 772, 476 और 613 मामले दर्ज किए गए। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

(ज): सरकार द्वारा बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन), 1986 अधिनियमित किया गया, जिसे वर्ष 2016 में संशोधित किया गया। संशोधित अधिनियम को बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 कहा जाता है। यह अधिनियम किसी भी व्यवसाय और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम या रोजगार पर पूर्ण प्रतिषेध लगाता है और खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। इस संशोधन में अधिनियम का उल्लंघन करने पर नियोक्ताओं के लिए कड़ी सजा का भी उपबंध है और इसमें अपराध को संज्ञेय बनाया गया है।

*** *****

अनुबंध I

'बाल श्रमिकों को शिक्षा' के संबंध में श्री कृपाल बालाजी तुमाने और श्रीमती भावना गवली(पाटील) द्वारा पूछे गए दिनांक 06.02.2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 607 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक **31.03.2021** के पूर्व स्वीकृत एवं दिनांक **31.03.2022** को कार्यशील विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	जिला	एसटीसी की संख्या जिन्हें अनुमति दी गई है।
1	मध्य प्रदेश	शाजापुर	15
2	ओडिशा	झारसुगुड़ा	16
3	ओडिशा	सुंदरगढ़	28
4	असम	कामरूप (मेट्रो)	40
5	असम	नौगांव	93
6	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाजपुर	30
7	पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार	13
8	पश्चिम बंगाल	कूचबिहार	19
9	तमिलनाडु	वेल्लोर	10
10	तमिलनाडु	धर्मपुरी	14
11	तमिलनाडु	कृष्णागिरी	9

अनुबंध II

'बाल श्रमिकों को शिक्षा' के संबंध में श्री कृपाल बालाजी तुमाने और श्रीमती भावना गवली(पाटील) द्वारा पूछे गए दिनांक 06.02.2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 607 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना के तहत राज्य-वार जारी अनुदान:

(लाख रूपये में)

क्र.सं	**राज्य का नाम**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23***
1	आंध्र प्रदेश	309.46	202.68	306.29	32.01	116.37
2	असम	1109.45	198.28	49.64	81.10	140.68
3	गुजरात	99.41	154.31	61.36	12.23	0
4	हरियाणा	234.66	191.77	116.83	34.79	0
5	जम्मू और कश्मीर	56.14	0	32.48	0	0
6	झारखंड	0	274.54	177.42	0	60.72
7	कर्नाटक	184.23	127.38	82.74	7.53	12.27
8	मध्य प्रदेश	514.34	491.67	363.41	143.29	236.50
9	महाराष्ट्र	106.19	998.70	931.49	196.53	102.54
10	नागालैंड	0	4.00	0	0	0
11	ओडिशा	138.62	188.57	115.16	236.66	43.24
12	पंजाब	256.88	282.35	206.41	317.35	37.53
13	राजस्थान	319.46	281.40	124.19	16.64	0
14	तमिलनाडु	878.53	811.44	482.00	323.45	178.14
15	तेलंगाना	204.56	132.11	152.86	71.56	94.65
16	उत्तर प्रदेश	1420.72	759.66	433.83	137.70	99.91
17	उत्तराखंड	0	32.64	0	0	0
18	पश्चिम बंगाल	1896.90	2503.72	463.37	203.10	424.26

* दिनांक 31.01.2023 तक

अनुबंध III

'बाल श्रमिकों को शिक्षा' के संबंध में श्री कृपाल बालाजी तुमाने और श्रीमती भावना गवली(पाटील) द्वारा पूछे गए दिनांक 06.02.2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 607 के भाग (घ) से (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत पंजीकृत मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या:

क्र.सं।	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019	2020	2021
1	आंध्र प्रदेश	2	37	12
2	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0
3	असम	68	40	78
4	बिहार	15	3	14
5	छत्तीसगढ	2	0	0
6	गुजरात	64	39	40
7	हरियाणा	11	1	12
8	हिमाचल प्रदेश	0	1	0
9	झारखंड	18	27	5
10	कर्नाटक	83	54	58
11	केरल	2	0	3
12	मध्य प्रदेश	4	1	5
13	महाराष्ट्र	53	29	57
14	मेघालय	2	0	0
15	ओडिशा	0	0	6
16	पंजाब	8	11	8
17	राजस्थान	48	30	19
18	तमिलनाडु	3	2	26
19	तेलंगाना	314	147	224
20	त्रिपुरा	0	1	0
21	उत्तर प्रदेश	9	1	1
22	उत्तराखंड	27	41	25
23	पश्चिम बंगाल	7	3	2
24	चंडीगढ़	0	1	7
25	दमन और दीव	2	0	0
26	दिल्ली	30	6	11
	कुल	772	476	613

स्रोत: क्राइम इन इंडिया, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

******